न्यायालय अपील प्राधिकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16/2024

1. श्रीमती निर्मला पत्नी स्व. श्री प्रकाशचन्द्र चौपड़ा मकान नम्बर ई–1140, मोतीनगर, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा हाल निवास वृद्धाश्रम–मंगरोप रोड़, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

––अपीलार्थी

बनाम

1. श्री कमल पुत्र स्व. श्री प्रकाशचन्द्र चौपड़ा मकान नम्बर ई–1140, मोतीनगर, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा
2. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री कमल पुत्र स्व. श्री प्रकाशचन्द्र चौपड़ा मकान नम्बर ई–1140, मोतीनगर, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा

––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक 28.03.2024

उपस्थित –

1. श्रीमती निर्मल चौपड़ा अपीलार्थी–स्वंय
2. श्री कमल चौपड़ा – प्रत्यर्थी संख्या–1 एवं 02 की ओर से स्वंय

निर्णय

दिनांक : 19–03–2025

1– अपीलार्थी की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक 28.03.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अधिनियम 2007 की धारा 4, 5 एवं सपठित धारा 12 के तहत अपीलार्थीयॉ के आवेदन का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से 9,000/– रू. मासिक भरण पोषण राशि अदा करने का आदेश दिया गया। जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीया का कथन है कि – मोतीनगर, सांगानेर में स्वंय का मकान है जिसमें मेरा पुत्र एवं पुत्रवधु दोनों रहते है। दोनों प्रत्यर्थीगणों ने अपीलार्थी को मारपीट करके मेरे समस्त दस्तावेज छिनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जबकि मकान अपीलार्थीया के नाम पर है। जिसका बिजली व पानी का बिल भी अपीलार्थी के नाम से आता है। अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में अपनी निम्न चल व अचल सम्पतियों का भी हवाला दिया है :–

जायदाद–1–एकान नम्बर ई–1140, मोती नगर वाला मकान

2–ट्रान्सपोर्ट नगर की दुकान जो अपीलार्थी के नाम है जिसका बिल भी मुझ अपीलार्थी के पास है। जिनका किराया करीबन 20 से 25 हजार रू. मासिक आता है।

3–माण्डल के पास 2 बीघा जमीन जिस पर अपीलार्थी व उसके स्व० पति ने अपनी मेहनत से 20 दुकाने व 20 कमरों का निर्माण करवाया। जिनका किराया करीबन 2 लाख रू. आता है।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा